

2274 K
22-7-14 1551
Hindi letters.doc-362 21/7/14

(To be substituted for the letter bearing same number and date)

कमांक 4/17/89-1चौ01

दस्तावेज क्रमांक... 334
दिनांक 24-7-14

DIR
Agriculture

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
चौकसी विभाग।

सेवा में

1. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सभी प्रशासकीय सचिव।
2. सभी विभागाध्यक्ष।
3. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
4. सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
5. आयुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुडगांव मण्डल।
6. सभी मुख्य प्रशासक/सभी प्रबन्ध निदेशक, बोर्ड्स व कॉर्पोरेशन/ सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।
7. सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी (नागरिक)।
8. सभी रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय।

दिनांक 7.7.2014

21/7/14

P.S.H.

h

P.S.

21-7-14

21/7/14

21/7/14

21/7/14

21/7/14

21/7/14

21/7/14

21/7/14

21/7/14

21/7/14

21/7/14

21/7/14

21/7/14

21/7/14

21/7/14

21/7/14

21/7/14

21/7/14

21/7/14

विषय:- रिश्तखोर सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों पर घात लगाने की नीति।

महोदय,

PE post on website

23/07/2014

23/07/2014

23/07/2014

23/07/2014

23/07/2014

23/07/2014

23/07/2014

23/07/2014

23/07/2014

23/07/2014

23/07/2014

23/07/2014

23/07/2014

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय पर इस

विभाग द्वारा जारी हिदायत कमांक 1244-1चौ0(II)-72/9512, दिनांक 13.4.1972

तथा पत्र कमांक 4/17/89-1चौ01, दिनांक 24.1.1990 की ओर दिलाऊँ और यह

बताऊँ कि राज्य सरकार द्वारा रिश्तखोर राजपत्रित श्रेणी-1 (गुप-ए) के

अधिकारियों पर राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा द्वारा छापे मारने के मामले पर फिर

से विचार किया गया है और विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि श्रेणी-1

(गुप-ए) के अधिकारियों पर (आई.ए.एस., आई.पी.एस., एच.सी.एस. (कार्यकारी) व

एच.पी.एस. अधिकारियों को छोड़ कर) राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा द्वारा छापे

मारने की अनुमति प्रदान करने के लिए सम्बन्धित विभाग के प्रशासकीय सचिव

सक्षम होंगे।

जहां तक आई.ए.एस. व एच.सी.एस. [कार्यकारी शाखा]

अधिकारियों पर छापे मारने की अनुमति दिये जाने का सम्बन्ध है, ऐसी अनुमति

दिये जाने से पूर्व प्रशासकीय सचिव, चौकसी मुख्य सचिव का पूर्व अनुमोदन प्राप्त

करेंगे। आई.पी.एस./एच.पी.एस. अधिकारियों पर छापे मारने के लिए राज्य चौकसी

ब्यूरो हरियाणा द्वारा प्रशासकीय सचिव गृह से अनुरोध किया जायेगा व प्रशासकीय

.....2

-2-

सचिव गृह ऐसी अनुमति दिये जाने से पहले मुख्य सचिव का पूर्व अनुमोदन (prior approval) प्राप्त करेंगे।

2. अन्य श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों पर छापे मारने की अनुमति दिये जाने हेतु सन्दर्भाधीन परिपत्रों द्वारा जारी हिदायतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

3. आपसे अनुरोध है कि इन हिदायतों का दृढ़ता से पालन किया जाये।

भवदीय,

D. Adarsh

अवर सचिव चौकसी,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
चौकसी विभाग।

पृष्ठांकन क्रमांक 4/17/89-1चौ01

दिनांक 7.7.2014

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला को उनके पत्र क्रमांक 6525/रा10चौ0ब्यू0(ह0) दिनांक 20.5.2014 के सन्दर्भ में प्रेषित है। उनसे यह अनुरोध है कि हिदायतों को विजीलैन्स मैन्युवल में भी छपवायें।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी, हरियाणा सिविल सचिवालय, नौवीं मंजिल, सेक्टर-1 चंडीगढ़ को भेजते हुए अनुरोध है कि उक्त हिदायतें हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करें।

D. Adarsh

अवर सचिव चौकसी,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
चौकसी विभाग।